प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, झालावाड़ थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2023
प्र0सू0रि0 सं0 141/2023 दिनांक 6/6/2023

2. (1) अधिनियम पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018.....धाराऐं..... 7 पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018)

(2) अधिनियम.....धाराऐं .....

(3) अधिनियम.....धाराऐं.....

(4) अन्य अधिनियम एवं ..... धाराऐं .....

3. (क) घटना का दिन :– मंगलवार दिनांक :– 25.04.2023
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 21.03.2023 समय :– 12:30 पी.एम.
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या .....111..... समय 7:00 P.M.

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित प्रार्थना पत्र

5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी –चौकी ए.सी.बी. झालावाड़ से करीब 90 कि0मी0 बजानिब दक्षिण–पूर्व दिशा बीट संख्या.....जुरामदेही सं.....
(ख) पता:– पुलिस थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़।
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.....जिला .....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– श्री रत्तीराम
(ख) पिता/पति का नाम :– श्री रामलाल जाति लोधा
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 27 वर्ष
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय –
(छ) पता :– निवासी ग्राम टोडरीमीरा तहसील व थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

आरोपी श्री चन्द्रपाल गोचर पुत्र श्री बिहारी लाल गोचर जाति गुर्जर उम्र 34 साल निवासी नयागांव पोस्ट केथूड़ा थाना देई तहसील नेनवां जिला बून्दी हाल कानिस्टेबल नम्बंर 211 पुलिस थाना मनोहरथाना जिला झालावाड (राज0)

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – 30,000 रूपये .....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 21.03.2023 समय 12.30 पीएम पर परिवादी श्री रत्तीराम पुत्र श्री रामलाल जाति लोधा उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम टोडरीमीरा तहसील व थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्वंय उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड की फोटो प्रति के श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो झालावाड़ के समक्ष पेश किया। परिवादी श्री रत्तीराम लोधा के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा

अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा प्रार्थना पत्र स्वंय द्वारा हस्तलिखित एवं उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि श्री बबलू लोधा निवासी बड़गांव ने आज से लगभग दो साल पहले मुझसे जेसीबी मशीन खरीदने का नाम लेकर तीन लाख रूपये उधार लिये थे, जो ब्याज की रकम जोड़ने पर कुल 3,91,200रूपये हो गये हैं, जिसमें से श्री बबलू लोधा ने मुझे कई टुकड़ो–टुकड़ो में अब तक 2,57,800 रूपये चुका दिये है। मैंने श्री बबलू लोधा से बाकी के 1,33,400 रूपये चुकाने के लिये कहा तो श्री बबलू लोधा ने कहा कि मैंने तुम्हारा पूरा रूपया चुका दिया है अब मेरे ऊपर कोई रूपया बकाया नहीं है तथा मुझे धमकी देते हुए कहा कि तुम्हें जो भी करना हो कर लेना। श्री बबलू लोधा ने आज से तीन दिन पूर्व मेरे रूपये नहीं देकर थाने वालों से मिलकर मेरे खिलाफ ही उल्टी थाना मनोहरथाना में अपहरण की झूंठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद दिनांक 18.03.2023 को थाना मनोहरथाना के श्री चन्द्रपाल गुर्जर सिपाही ने अपने मोबाईल नम्बर 7976683503 से मेरे मोबाईल नम्बर 6378414366 पर शाम को 6 बजे करीब कॉल कर बताया कि थानेदार साहब ने तुम्हें कल थाने पर बुलाया है। इस पर मैंने पूछा तो उसने बताया कि तुम्हारे खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज है जिसमें तुमसे पूछताछ करनी है। इस पर दिनांक 19.03.2023 को मेरे पास दुबारा श्री चन्द्रपाल गुर्जर सिपाही ने दिन में 7–8 बार कॉल किया जिस पर मैं थाना मनोहरथाना गया तो वहां थाने पर श्री चन्द्रपाल गुर्जर सिपाही के पास पहले से ही श्री बबलू लोधा मौजूद था। श्री चन्द्रपाल गुर्जर सिपाही मुझे लेकर श्री राजपाल सिंह थाना इंचार्ज के पास ले गया, जिस पर थाना इंचार्ज ने मुझसे कहा कि तुम चन्द्रपाल से मिल लो तुम्हारा काम हो जायेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। उन्होने मुझे धमकाते हुए बाहर भेज दिया। थोड़ी देर बाद श्री चन्द्रपाल सिपाही मेरे पास आया तथा मुझे कहा कि तुम्हारा केस रफा–दफा हो जायेगा। मेरी थानेदार साहब से बात हो गई है। उनको मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। केस रफा–दफा करने के लिये 50,000 रूपये मुझे देने पड़ेगे। इस पर मैंने श्री चन्द्रपाल सिपाही से कहा कि मेरे रूपये श्री बबलू लोधा पर निकलते हैं और उसने उल्टा मेरे ऊपर ही मुकदमा लगा दिया है। इस पर श्री चन्द्रपाल सिपाही ने कहा कि तुम दोनों का भी हिसाब करा देंगे लेकिन कल तुम 50,000 रूपये मेरे खर्चे पानी के अलग से लेकर थाने पर आ जाओ। उसके बाद मुझे तो थाने से रवाना कर दिया तथा श्री चन्द्रपाल सिपाही बबलू लोधा के पास चला गया। दिनांक 20.03.2023 को भी श्री चन्द्रपाल सिपाही ने मुझे थाने पर आने के लिये 4–5 बार कॉल किया और कहा कि थानेदार साहब ने तुमको बुलाया है। 50,000 रूपये की व्यवस्था कर के थाने पर आ जाओ नहीं तो पकड़कर जेल में भिजवा दूंगा। डर के मारे मैं दिनांक 20.03.2023 को भी थाना मनोहरथाना गया तो श्री चन्द्रपाल सिपाही ने कहा कि थानेदार साहब ने 2 दिन का समय दिया है उसके बाद तुम्हें पकड़कर बन्द करना पड़ेगा। मुझे थाने पर बुलाकर बुरी तरह धमकाया उस दिन भी श्री बबलू लोधा श्री चन्द्रपाल सिपाही के साथ ही थाने पर घुम रहा था। थाने वाले श्री बबलू लोधा का पक्ष ले रहे हैं तथा मेरी कोई सुनवाई नहीं की है। उल्टा मुझे ही बन्द करने की धमकी दे रहे हैं। मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान तथा डरा हुआ हूँ। मैं मेरे खिलाफ थाना मनोहरथाना में श्री बबलू लोधा द्वारा दर्ज करायी गयी अपहरण की झूठी रिपोर्ट को रफा–दफा कराने की एवज में श्री चन्द्रपाल सिपाही को 50,000 रूपये रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं। मेरी चन्द्रपाल सिपाही से कोई पुरानी दुश्मनी तथा कोई लेनदेन बकाया नहीं है। परिवादी श्री रत्तीराम लोधा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 की परिधि में आना पाया जाने पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् रमेश चन्द आर्य पुलिस निरीक्षक को अपने चैम्बर में बुलवाया। परिवादी श्री रत्तीराम लोधा से परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अंकन कर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। समय 12:50 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री रत्तीराम लोधा द्वारा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ब्यूरो कार्यालय में पेश किये गये प्रार्थना पत्र व परिवादी को साथ लेकर अपने कक्ष में पहुंचा। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा परिवादी श्री रत्तीराम लोधा से दरियाफ्त पर वार्तालाप की गयी। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बंध में परिवादी श्री रत्तीराम लोधा को आरोपी श्री चन्द्रपाल गुर्जर कानिस्टेबल के पास पुलिस थाना मनोहरथाना भिजवाकर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से समय 01:40 पीएम पर श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 नं0 26 से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकलवाकर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा चेक किया जाकर परिवादी श्री रत्तीराम लोधा को चालू व बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिंग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आरोपी श्री चन्द्रपाल गुर्जर कानि0 के बारे में परिवादी से गोपनीय जानकारी करवायी गयी तो आरोपी श्री चन्द्रपाल गुर्जर कानि0 पुलिस थाना मनोहरथाना पर ही मौजूद होना ज्ञात हुआ। इस पर ब्यूरो कार्यालय के कॉनि0 श्री पवन कुमार नं0 28 को निगरानी रखने हेतु परिवादी श्री रत्तीराम लोधा के साथ अपनी–अपनी मोटरसाईकिलों से पुलिस थाना मनोहरथाना के लिए आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 21.03.2023 समय 09:00 पीएम पर परिवादी श्री रत्तीराम लोधा व श्री पवन कुमार कानि0 नं0 28 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी श्री रत्तीराम लोधा ने मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मैं

व श्री पवन कुमार जी दोनों अपनी–अपनी मोटरसाईकिलों पर बैठकर पुलिस थाना मनोहरथाना के नजदीक मैन गेट से कुछ दूरी पर रूके। श्री पवन कुमार जी वही रूक गये थे तथा उन्होने मुझे अपनी मोटर साईकिल से पुलिस थाना मनोहरथाना के लिए रवाना कर दिया था। मैं वहां से रवाना होने से पूर्व ही मैंने आप द्वारा दिये हुए सरकारी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर लिया था तथा रवाना होकर अपनी मोटरसाईकिल से पुलिस थाना मनोहरथाना के अन्दर पहुंचा। श्री चन्द्रपाल जी मुझे स्वागत कक्ष के बाहर ही मिल गये थे मैंने उनसे मेरे खिलाफ थाने पर दर्ज रिपोर्ट के बारे में बात की तो उन्होने कहा कि तू 50,000रूपये लेकर आ जा तेरा सारा मेटर क्लोज करवा दूंगा। मैंने चन्द्रपाल जी से कहा कि मुझे तो बबलू से और रूपये लेने है जबकि आप उसको उल्टे रूपये दिलवा रहे हो तो उन्होने कहा तेरे खिलाफ बबलू ने अपहरण की रिपोर्ट दी है मैं उसको क्लोज करवा दूंगा इस पर मेरे हाथाजोड़ी करने पर चन्द्रपाल जी मुझसे 30,000रूपये लेने हेतु सहमत हो गये एवं उन्होने कहां कि तू 30,000रूपये ले आना नहीं तो तू जैल जाऐगा, बबलू ने तेरे खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दी है मैं तेरा थाने का मामला क्लोज करवा दूंगा और तेरा और बबलू का समझौता करवा दूंगा। वार्ता होने के बाद बाहर आकर मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बन्द कर लिया था तथा वहां से रवाना होकर श्री पवन कुमार जी के पास पहुंचकर मैंने सारी बात बतायी तथा वहां से रवाना होकर कार्यालय आये है। इस पर श्री पवन कुमार कानि0 से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पूछने पर उसने परिवादी के कथनों की ताईद करते हुए बताया कि मैंने थाने के मैन गेट के बाहर से देखा था परिवादी श्री रत्तीराम लोधा थाने में प्रवेश कर गया था। फिर मैं थाने से कुछ दूरी पर रोड़ के साईड में खड़ा होकर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के वापस आने के इंतजार में खड़ा रहा। परिवादी श्री रत्तीराम लोधा के आने पर हम दोनों रवाना होकर कार्यालय में आ गये। परिवादी श्री रत्तीराम लोधा द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किये रिश्वत मांग सत्यापन सम्बन्धी रिकॉर्डेड वार्ता के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित मालखाना में रखने हेतु श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 26 को सुपुर्द किया जाकर मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया तथा परिवादी श्री रत्तीराम लोधा को अगले दिन दिनांक 22.03.2023 को प्रातः 09.00 बजे ब्यूरो कार्यालय में रिश्वत राशि के 30,000रूपये की व्यवस्था कर लेकर कार्यालय में उपस्थित आने तथा की गई कार्यवाही के सम्बंध में गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 22.03.2023 को ट्रेप कार्यवाही होने की सम्भावना होने से कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु कार्यालय जिला रसद अधिकारी, झालावाड़ के नाम पत्रांक 248 दिनांक 21.03.2023 जारी कर श्री हर्ष कुमार कानि0 नं0 234 को देकर दिनांक 22.03.2023 को प्रातः 09:00 एएम पर दो सरकारी गवाह भिजवाने के लिए पाबन्द करने हेतु रवाना किया गया। जिस पर श्री हर्ष कुमार कानि0 नं0 234 गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय जिला रसद अधिकारी, झालावाड़ से दो स्वतंत्र गवाह को दिनांक 22.03.2023 को समय 09.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द करवाकर पाबन्द शुदा गवाहों का कार्यालय जिला रसद अधिकारी, झालावाड़ का जारी शुदा पत्रांक 578 दिनांक 21.03.2023 लेकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर पेश किया जिसको बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। दिनांक 22.03.2023 समय 09:00 एएम पर तलविदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार व्यास पुत्र स्व0 श्री रमेशचन्द्र व्यास जाति ब्राह्मण उम्र 47 साल निवासी बी–44 अनन्त विहार कॉलोनी भवानीमण्डी हाल जेआर 37 सिविल लाईन, बस स्टेण्ड, झालावाड़ हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, झालावाड़ व श्री राधेश्याम मीना पुत्र श्री हजारी लाल जाति मीना उम्र 22 साल निवासी ग्राम खानपुरिया पोस्ट ल्हास तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला रसद विभाग, झालावाड़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिनसे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत् करवाया गया एवं कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति चाही गयी तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने कार्यवाही में साथ रहने की मौखिक सहमति दी। दिनांक 22.03.2023 समय 09:10 एएम पर परिवादी श्री रत्तीराम लोधा ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित आया व अवगत कराया कि वह अपने साथ रिश्वत मे दी जाने वाली रिश्वत राशि 30,000रूपये भारतीय मुद्रा के नोट लेकर आया हूं। परिवादी ने यह भी बताया कि आज श्री चन्द्रपाल गुर्जर कानि0 पुलिस थाना मनोहरथाना में ही उपस्थित है तथा वह मुझसे दिनांक 21.03.2023 को हुई वार्ता अनुसार रिश्वत राशि प्राप्त कर लेगें। इस पर परिवादी का ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार व्यास सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री राधेश्याम मीना कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, झालावाड़ का परिवादी से परस्पर परिचय कराया गया। परिवादी श्री रत्तीराम लोधा द्वारा दिनांक 21.03.2023 को ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढ़कर सुनाया गया। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर व परिवादी से वार्तालाप कर परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु साथ रहने की सहमति दी। दिनांक 22.03.2023 समय 09:20 एएम पर परिवादी श्री रत्तीराम लोधा व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार व्यास सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री राधेश्याम मीना कनिष्ठ सहायक की मौजूदगी में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26 से मालखाना में रखे हुए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को निकलवाया

गया। जिसके बारे में दोनों गवाह को समझाया गया कि कल दिनांक 21.03.2023 को परिवादी श्री रत्तीराम लोधा व आरोपी श्री चन्द्रपाल गुर्जर कानि0 के मध्य रिश्वत मांग की गोपनीय वार्ता हो चुकी है। इस पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में दिनांक 21.03.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को श्री पवन कुमार कानि. नं. 28 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री रत्तीराम लोधा के समक्ष वार्ता को कम्प्यूटर के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री रत्तीराम लोधा ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री चन्द्रपाल गुर्जर कानि0 की होना बताया। वार्ता की हूबहू कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मेरे निर्देशन में श्री पवन कुमार कानि0 नं0 28 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 22.03.2023 समय 12:30 पीएम पर परिवादी श्री रत्तीराम लोधा ने दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार व्यास सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री राधेश्याम मीना कनिष्ठ सहायक के समक्ष अपने पास से 30,000 रूपये रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के कुल 60 नोट भारतीय मुद्रा के मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनके नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटों को मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई तथा उक्त कानि. को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा 30,000रूपये रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे तथा गवाह श्री सुनील कुमार व्यास से परिवादी श्री रत्तीराम लोधा की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 के हाथ से सीधे ही फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि परिवादी श्री रत्तीराम लोधा की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वती राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा श्री चन्द्रपाल गुर्जर कानि0 द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात् एवं पूर्व में आरोपी से हाथ नहीं मिलायें यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात वह रिश्वत राशि को कहां रखता अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपी के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वंय के सिर पर दोनों हाथ फेर कर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल करें ताकि मन् पुलिस निरीक्षक एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वती राशि के लेन–देन होने का पता चल जाये। दोनों स्वतन्त्र गवाहन व ट्रैप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती लेन–देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री हर्ष कुमार कानि0 से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कांच के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री हर्ष कुमार कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह दोनों स्वतंत्र गवाहान् श्री सुनील कुमार व्यास व श्री राधेश्याम मीना एवं परिवादी श्री रत्तीराम लोधा को दृष्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडरों के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री हर्ष कुमार कानि. के द्वारा ही गिलास में दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा गिलास को साफ साबुन पानी से धुलवाकर कार्यालय में ही छोड़ा गया। फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। दो अलग गिलासों, चम्मच, खाली पव्वों ट्रेप सामग्री किट इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। श्री हर्ष कुमार कानि0 एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों की अपनी–अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वंय के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् पुनः परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। रिश्वती लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु एक डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के रख रखाव व संचालन की विधि समझाकर परिवादी श्री रत्तीराम लोधा को सुपुर्द किया गया। दृष्टांत कार्यवाही की पृथक से फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि नोट एवं दृष्टान्त मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान सम्बंधित ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। समय 01:40 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार व्यास व श्री राधेश्याम मीना तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26, श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं.

97, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री शिवराज कानि. 166 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर तथा सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री छोटूलाल नं. 534 के व प्राईवेट वाहन से बजानिब मनोहरथाना की ओर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। आगे–आगे परिवादी श्री रत्तीराम लोधा को उसकी स्वंय की मोटरसाईकिल से रवाना किया तथा श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में छोड़ा गया। समय 04:00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता के सरकारी व प्राईवेट वाहनों से कस्बा मनोहरथाना से कुछ दूरी पर रोड़ पर साईड में रूका परिवादी श्री रत्तीराम लोधा अपनी मोटरसाईकिल से मेरे पास आया एवं मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरी श्री चन्द्रपाल जी से मोबाईल पर बात हुई थी, जिन्होने मेरी दुकान पर आधे घण्टे में आने के लिए कहा है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री रत्तीराम लोधा को पुनः डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने प्रक्रिया बताकर समझाईस कर उसको उसकी मोटर साईकिल से उसकी मनोहरथाना कस्बे में भीमराव अम्बेडकर तिराहा के पास स्थित दुकान के लिए रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक व दोनों सरकारी गवाहान मय हमराहियान जाब्ता के सरकारी व प्राईवेट वाहनों से परिवादी के पीछे–पीछे परिवादी की भीमराव अम्बेडकर तिराहा कस्बा मनोहरथाना में स्थित दुकान के नजदीक पहुंचा तथा मन् पुलिस निरीक्षक व दोनों सरकारी गवाहान मय हमराहियान जाब्ता के सरकारी व प्राईवेट वाहनों में कुछ दूरी बनाकर परिवादी की दुकान के नजदीक ही रहकर ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी द्वारा रिश्वत राशि देने के ईशारे की प्रतीक्षा में वाहनों में ही मुकीम रहे। समय 08:00 पीएम पर परिवादी श्री रत्तीराम लोधा बिना कोई ईशारा किए मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया व बताया कि मैं आपके बताये अनुसार मेरी भीमराव अम्बेडकर तिराहा कस्बा मनोहरथाना में स्थित दुकान पहुंचा तथा दुकान में ही बैठकर श्री चन्द्रपाल जी का आने का इंतजार करता रहा लेकिन वह अभी तक भी श्री चन्द्रपाल जी मेरी दुकान पर नहीं आये है, ना ही मेरे पास कोई कॉल कर सूचना दी है। काफी इंतजार के बाद मैं वहां से रवाना होकर आपके पास आया हूं। कस्बे का मार्केट भी करीब–करीब बन्द हो गया है। ट्रेप कार्यवाही की सम्भावना नहीं होने से मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री रत्तीराम लोधा हमराहियान जाब्ता व स्वतंत्र गवाहान के साथ लाये सरकारी व प्राईवेट वाहनों से एसीबी कार्यालय झालावाड़ के लिए रवाना हुआ। समय 09:50 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री रत्तीराम लोधा, दोनों स्वतंत्र गवाहान व हमराहियान जाब्ता के सरकारी/प्राईवेट वाहनों से एसीबी चौकी झालावाड़ पहुंचा। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त किया तथा श्री गोपाल लाल हैड कानि0 को निर्देश देकर ट्रेप बॉक्स से एक लिफाफा निकलवाया व परिवादी के पास रखी ट्रेप राशि 30,000रूपये भारतीय मुद्रा के कागज के लिफाफे में रखवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखी रिश्वत राशि सहित ट्रेप बॉक्स व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मालखाने में रखवाया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान और परिवादी को कार्यवाही की गोपनियता बरतने की हिदायत कर दिनांक 23.03.2023 को सुबह 11.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। दिनांक 23.03.2023 समय 11.00 एएम पर तलविदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार व्यास व श्री राधेश्याम मीना ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिन्हे की जाने वाली कार्यवाही के बारे में पुनः समझाईश की गयी। समय 11:10 एएम पर परिवादी श्री रत्तीराम लोधा कार्यालय में उपस्थित आया और मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैंने गोपनीय रूप से जानकारी करने पर आरोपी श्री चन्द्रपाल गुर्जर सिपाही का मनोहरथाना थाने पर ही होना ज्ञात हुआ है। परन्तु आरोपी श्री चन्द्रपाल गुर्जर सिपाही का अब तक भी मेरे मोबाईल पर रिश्वत राशि लेने के सम्बंध में कोई कॉल नहीं आया है। आपके निर्देशानुसार मैं आपके कार्यालय में उपस्थित आ गया हूं। आरोपी श्री चन्द्रपाल गुर्जर सिपाही को यदि मैं आगे होकर कॉल करूंगा तो उसको शक होने की सम्भावना है। इसलिए उसके कॉल आने का इंतजार करना उचित रहेगा। समय 04:30 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री रत्तीराम लोधा मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया तथा उसने बताया कि उसके भाई का उसके मोबाईल पर कॉल आया था तो उसके भाई ने बताया कि आरोपी श्री चन्द्रपाल गुर्जर सिपाही न तो दुकान पर आया है और ना ही घर पर आकर सम्पर्क किया है। इस पर मैंने भी अपने भाई को बताया कि मेरे पास में भी अभी तक उसका कोई कॉल नहीं आया है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री रत्तीराम लोधा को आरोपी श्री चन्द्रपाल गुर्जर सिपाही के मोबाईल पर कॉल करने के लिए कहा तो परिवादी ने कहा कि उसको शक हो जायेगा हमें उसके कॉल आने का इंतजार करना चाहिए। इस प्रकार परिवादी के कहेनुसार आरोपी से रिश्वत राशि मांगने के सम्बंध में मोबाईल पर वार्तालाप नहीं करायी गयी तथा परिवादी ने बताया कि उसकी दादाजी को लकवा मार गया है। अतः उसके भाई ने उसको जल्दी मनोहरथाना आने के लिए कहा है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को कार्यवाही के सम्बंध में पूर्ण गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि के देने के लिए बुलाने अथवा इस सम्बंध में कॉल करने पर अविलम्ब अवगत कराने के निर्देश देकर ब्यूरो कार्यालय से मनोहरथाना के लिए रूखसत किया गया। दिनांक 23.03.2023 समय 04.45 पीएम पर तलविदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार व्यास व श्री राधेश्याम मीना को परिवादी श्री रत्तीराम लोधा द्वारा बताये गये कथनों के सम्बंध में अवगत कराया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को भी मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यवाही के सम्बंध में पूर्ण गोपनीयता बरतने तथा पुनः तलब करने पर ट्रेप कार्यवाही हेतु अविलम्ब ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। दिनांक 24.03.2023 समय 06.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक उपार्जित अवकाश

दिनांक 25.03.2023 से 16.04.2023 तक पर रवाना होने के कारण कार्यवाही से सम्बंधित मुर्तिब कागजात की पत्रावली श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर ट्रेप कार्यवाही के सम्बंध में सम्पूर्ण हालात के बारे में अवगत करवाया गया एवं परिवादी श्री रत्तीराम लोधा को जरिये मोबाईल वार्ता कर मन् पुलिस निरीक्षक के अवकाश पर रवाना होने के बारे में बताया गया तथा निर्देश दिये कि आरोपी श्री चन्द्रपाल गुर्जर द्वारा रिश्वत लेनदेन हेतु सम्पर्क करने अथवा मोबाईल कॉल कर या अन्य किसी माध्यम से रिश्वत राशि मांगने अथवा देने हेतु बुलाने की दशा में ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ उपस्थित होकर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जानकारी देवें अथवा जरिये मोबाईल श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर 9414684210 पर अविलम्ब अवगत करावें ताकि अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जा सके। दिनांक 28.03.2023 समय 10.00 एएम पर परिवादी श्री रत्तीराम लोधा ने श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि मैंने आज सुबह श्री चन्द्रपाल गुर्जर सिपाही के मोबाईल पर वार्ता कर सम्पर्क किया था इस पर श्री चन्द्रपाल गुर्जर ने बताया कि आज जिला कलक्टर साहब मनोहरथाना दौरे पर आ रहे है। अतः सुबह–सुबह टाईम नहीं मिलेगा। इसलिए तुम दोपहर 2.30 बजे थाने पर अपने भाई को साथ लेकर आ जाना। परिवादी श्री रत्तीराम लोधा ने यह भी बताया कि आरोपी मुझसे रिश्वत राशि ले सकता है। इसलिए आप ट्रेप पार्टी लेकर मनोहरथाना–हरनावदा शाहजी रोड़ पर स्थित बनेठ गांव पर दोपहर दो बजे से पूर्व पहुंच जावों। मैं व मेरा भाई दोनों अलग–अलग मोटर साईकिल लेकर बनेठ गांव पहुंच जायेगें। परिवादी श्री रत्तीराम लोधा द्वारा ट्रेप कार्यवाही किये जाने के सम्बंध में अवगत करवाने पर पूर्व पाबन्द शुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान को अविलम्ब ब्यूरो कार्यालय में ट्रेप कार्यवाही हेतु पहुंचने के लिए जरिये मोबाईल कॉल कर जानकारी दी जिस पर समय 10.30 एएम पर पूर्व पाबन्द शुदा दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री सुनील कुमार व श्री राधेश्याम ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिन्हें परिवादी द्वारा दी गयी सूचना के बारे में पुनः श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया। दिनांक 28.03.2023 समय 10.40 एएम पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री गोपाल लाल हैड कानि0 को निर्देश दिये कि परिवादी श्री रत्तीराम लोधा की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब से गवाह श्री सुनील कुमार के जरिये निकलवाकर सीधे ही लिफाफे में रखवायी गयी रिश्वत राशि के 30,000रूपये का लिफाफा व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर तथा अन्य ट्रेप सामग्री ट्रेप बॉक्स में रखें तत्पश्चात् श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ट्रेप पार्टी में दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार व्यास व श्री राधेश्याम मीना तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री गोपाल लाल हैड कानि0 26, श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि0 97, श्री पवन कुमार कानि0 28, श्री शिवराज कानि0 166, श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 279 तथा श्री देवदान सिंह कानि0 425 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर तथा सरकारी वाहन बोलरो चालक श्री छोटुलाल नं0 534 के मय अन्य प्राईवेट वाहन से ट्रेप पार्टी को साथ लेकर बजानिब मनोहरथाना की और रवाना हुए तथा श्री हर्ष कुमार कानि0 234 को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में छोड़ा गया। समय 12.40 पीएम पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी व हमराह ले गये वाहनों के कस्बा मनोहरथाना से पूर्व ग्राम बनेठ के निकट पहुंचे तथा वहां पर परिवादी श्री रत्तीराम लोधा के उपस्थित नहीं मिलने पर उसके मोबाईल पर कॉल कर पूछा गया तो उसने बताया कि हम रास्ते में है तथा दस मिनट में आपके पास पहुंच रहे है। इस पर लगभग 10 मिनट इंतजार करने पर मनोहरथाना से हरनावदा शाहजी की तरफ दो मोटर साईकिलें आती हुई नजर आयी जो दोनों वाहन देखने पर नजदीक आकर रूक गये। दोनों मोटरसाईकिलें रोड़ के साईड में खड़ा कर निकट आने पर एक व्यक्ति परिवादी श्री रत्तीराम लोधा तथा दूसरा परिवादी द्वारा अपना भाई होना बताया। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री रत्तीराम लोधा को रोड़ से साईड में ले जाकर पुनः आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने के बारे में पूछने पर उसने बताया कि श्री चन्द्रपाल गुर्जर सिपाही ने दुबारा कॉल कर बताया कि मैं अभी थाने पर किसी काम में बिजी हूं तुम अपने भाई को लेकर शाम 4.30 बजे आना अभी मत आओ। चूंकि परिवादी श्री रत्तीराम लोधा को आरोपी द्वारा शाम 04.30 बजे थाना मनोहरथाना पर बुलाने एवं काफी समय शेष होने से श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप पार्टी को मय परिवादी व उसके भाई के साथ अपने–अपने वाहनों से थाने से पूर्व बायीं और जाने वाले रास्ते पर सुनसान व गोपनीय जगह पर एकांत में पेड़ों के नीचे वाहन खड़े कर इंतजार किया गया। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा शाम 04.00 बजे श्री गोपाल लाल हैड कानि0 26 को निर्देश दिये कि ट्रेप बॉक्स खोलकर रिश्वत राशि 30,000रूपये का लिफाफा तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालें। तत्पश्चात् परिवादी की जामा तलाशी लिवायी जाने के पश्चात् रिश्वत राशि 30,000रूपये को लिफाफे में से निकलवाकर गवाह श्री सुनील कुमार व्यास के जरिये परिवादी श्री रत्तीराम लोधा की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी तथा रिश्वत राशि को आरोपी द्वारा मांगने पर ही देने तथा उससे पूर्व नहीं छूने व आरोपी द्वारा रिश्वत राशि रखे जाने तथा रिश्वत राशि ग्रहण करने पर पूर्व निर्धारित ईशारा देने के सम्बंध में पुनः हिदायत मुनासिब दी गयी। तत्पश्चात् गवाह श्री सुनील कुमार व्यास व ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ सरकारी वाहन में ले गये पानी के केम्पर से बोतलों में पानी लेकर साबुन से धुलवाये गये। स्वतंत्र गवाहों को पुनः निर्देश दिये गये कि रिश्वत लेनदेन के दौरान होने वाली वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। स्वतंत्र गवाहान द्वारा ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों की जामा तलाशी लिवायी गयी तथा परिवादी श्री रत्तीराम लोधा को रिश्वत लेनदेन वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल

वाईस रिकॉर्डर को पुनः चालू बन्द करने के बारे में समझाईश कर सुपुर्द किया गया एवं एक मोटरसाईकिल पर परिवादी व उसका भाई तथा दूसरी मोटरसाईकिल पर श्री देवदान सिंह कानि0 व श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 को बैठाकर थाना मनोहरथाना के लिए रवाना किया गया तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनों वाहनों में ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान को लेकर उनके पीछे–पीछे थाना मनोहरथाना के लिए रवाना हुए। समय 04.25 पीएम पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना मनोहरथाना के निकट पहुंचकर परिवादी को जरिये मोबाईल रूकने का ईशारा किया तथा पेड़ों की आड़ में दोनों वाहनों को खड़ा कर ट्रेप पार्टी को नीचे उतार कर दोनों मोटरसाईकिलों को भी वहीं खड़ा करवाकर पैदल–पैदल परिवादी को अपने भाई के साथ आरोपी श्री चन्द्रपाल गुर्जर सिपाही को रिश्वत राशि देने के लिए थाना मनोहरथाना के लिए रवाना किया तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान के थाने के बाहर दोनों तरफ ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी श्री रत्तीराम लोधा के ईशारे का इंतजार करने लगे। समय 04.35 पीएम पर परिवादी श्री रत्तीराम लोधा बिना ईशारा किये अपने भाई के साथ थाना मनोहरथाना के बाहर आता हुआ नजर आया। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उनको तथा ट्रेप पार्टी को अपने पीछे–पीछे वाहनों को खड़े किये स्थान की और आने का ईशारा किया। जिस पर समस्त ट्रेप पार्टी, स्वतंत्र गवाहान व परिवादी तथा उसका भाई वाहनों के पास पेड़ों की आड़ में पहुंचे। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा बिना ईशारे किये थाने से वापिस आने के बारे में परिवादी श्री रत्तीराम लोधा से पूछा तो उसने रूबरू स्वतंत्र गवाहान बताया कि आरोपी श्री चन्द्रपाल गुर्जर सिपाही थाने पर ही मौजूद था। मैंने उसको रिश्वत राशि देने तथा मेरे खिलाफ दर्ज रिपोर्ट में कोई कार्यवाही नहीं करने के बारे में बातचीत करनी चाही परन्तु उसने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे कोई रिश्वत राशि नहीं चाहिए मैं तो तुम्हे बन्द करूंगा। मैंने तुमको पैसे के लिए कब बोला था। इस तरह की बातें करने लगा तथा मुझे कहा कि तुम्हे गिरफ्तार करना पड़ेगा। इसलिए अपना जमानती लेकर थाने पर आ जाओ तुम्हारी जमानत भी हो जायेगी। परिवादी श्री रत्तीराम लोधा ने बताया कि उसने मुझसे एक दिन पूर्व यह भी पूछा था कि तुम झालावाड़ गये थे क्या। शायद उसको शक है कि मैं उसकी शिकायत एसपी साहब को शिकायत कर सकता हूं इसलिए वह मुझसे रिश्वत राशि के 30,000रूपये लेने से डर रहा है। परिवादी ने बताया कि आज ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नहीं है। मुझे विश्वास है कि वह मुझसे रिश्वत राशि के 30,000रूपये लेने के लिए जरूर सम्पर्क करेगा या थाने पर बुलायेगा अथवा मेरी दुकान पर भी रिश्वत राशि लेने के लिए आ सकता है, परन्तु उसको एसीबी टीम का शक नहीं है। अतः मैं पुनः श्री चन्द्रपाल गुर्जर को ट्रेप कराने का प्रयास करूंगा तथा उसके द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर आपको अवगत करवा दूंगा। इस पर मौके पर ही श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त किया जाकर श्री गोपाल लाल हैड कानि0 को ट्रेप बॉक्स में रखने के निर्देश दिये तथा ट्रेप बॉक्स से एक लिफाफा निकवाकर सीधे ही स्वतंत्र गवाह श्री सुनील कुमार व्यास से परिवादी की पेंट की साईड की दाहिनी वाली जेब से रिश्वत राशि के 30,000रूपये निकवाकर रिश्वत राशि को भी सीधे लिफाफे में रखवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये तथा परिवादी व उसके भाई को कार्यवाही के सम्बंध में गोपनीयता बरतने व आरोपी द्वारा पुनः रिश्वत राशि मांगने या बुलाने पर अविलम्ब अवगत कराने के निर्देश देकर दोनों मोटरसाईकिलें सुपुर्द कर मौके से अपने घर के लिए रूखसत किया गया व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी को लेकर साथ में ले गये दोनों वाहनों में बैठकर मौके से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ के लिए रवाना होकर समय 07.00 पीएम पर मय ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान के ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुंचे। श्री गोपाल लाल हैड कानि0 को ट्रेप बॉक्स में से रिश्वत राशि के 30,000रूपये का लिफाफा तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर व अन्य सामग्री सुरक्षित मालखाना रखने के निर्देश दिये गये तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में गोपनीयता बरतने तथा ट्रेप कार्यवाही हेतु पुनः तलब करने पर अविलम्ब ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। दिनांक 17.04.2023 को समय 10.00 एएम पर मन् रमेश चन्द आर्य पुलिस निरीक्षक उपार्जित अवकाश का उपभोग करने के उपरान्त ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दिनांक 24.03.2023 को ट्रेप कार्यवाही के कागजात सुपुर्द कर उपार्जित अवकाश पर रवाना होने के पश्चात् श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 28.03.2023 को परिवादी द्वारा जरिये मोबाईल ट्रेप कार्यवाही हेतु मनोहरथाना बुलाने तथा उक्त दिनांक को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण नहीं करने के कारण ट्रेप कार्यवाही नहीं होने के सम्बन्ध में संक्षिप्त रूप से मन् पुलिस निरीक्षक को जानकारी देकर पुनः ट्रेप कार्यवाही के कागजात सुपुर्द कर निर्देश दिये कि परिवादी श्री रत्तीराम लोधा से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर ट्रेप कार्यवाही के लिये प्रयास करें तथा ट्रेप कार्यवाही की सम्भावना नहीं होने पर परिवादी श्री रत्तीराम लोधा को बुलाकर उक्त सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वत राशि परिवादी को सुपुर्द कर उक्त कार्यवाही की ब्यूरो मुख्यालय रिपोर्ट भिजवावें। दिनांक 21.04.2023 समय 11.30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री रत्तीराम लोधा से जरिये मोबाईल कार्यवाही के सम्बन्ध में वार्ता की गई तो परिवादी श्री रत्तीराम लोधा ने बताया कि श्री चन्द्रपाल गुर्जर कानि0 को मुझ पर पहले से ही शक था कि मैंने उसकी शिकायत झालावाड़ एसपी साहब को कर दी है। दिनांक 28.03.2023 के बाद श्री चन्द्रपाल कानिस्टेबल ने मुझसे कोई बात नहीं की है, मैं थाने पर मिलने जाता हूं तो वहा पर भी मुझसे वह बात नहीं करता है तथा

थाने के बाहर से ही भगा देता है। इसके बाद वह मेरी दुकान पर भी नहीं आया है। शायद उसको शक हो गया है कि मैने उसकी शिकायत एसीबी में कर दी है इसलिए वह अब ना तो मेरे से बात कर रहा है और ना ही मेरे से मिल रहा है। अब वह मेरे से रिश्वत राशि नहीं लेगा। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री रत्तीराम लोधा को आरोपी श्री चन्द्रपाल गुर्जर से सम्पर्क करने व सम्पर्क होने पर ट्रेप कार्यवाही हेतु प्रयास करने की एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने व आरोपी द्वारा पुनः रिश्वत राशि मांगने या बुलाने पर अविलम्ब अवगत कराने के निर्देश दिये गये। दिनांक 25.04.2023 समय 3.30 पीएम पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री रत्तीराम लोधा से मिलवाया एवं उसके द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र को मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर उस पर अग्रिम कार्यवाही करने बाबत निर्देश दिये गये। मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री रत्तीराम लोधा द्वारा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ब्यूरो कार्यालय में पेश किये गये प्रार्थना पत्र व परिवादी को साथ लेकर अपने कक्ष में आया प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो प्रार्थना पत्र इस आशय का है कि मेरे द्वारा श्री चन्द्रपाल गुर्जर कानिस्टेबल पुलिस थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़ के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही करवाने हेतु दिनांक 21.03.2023 को कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झालावाड़ पर एक प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर दिनांक 21.03.2023 को ही रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया था। सत्यापन वार्ता में श्री चन्द्रपाल गुर्जर कानिस्टेबल ने मेरे खिलाफ थाना मनोहरथाना पर दर्ज रिपोर्ट को क्लॉज करवाने व मेरे विरूद्ध कोई कार्यवाही नही करने के एवज में मुझसे 50 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी। मेरे द्वारा निवेदन करने पर श्री चन्द्रपाल गुर्जर कानिस्टेबल ने 30 हजार रूपये लेने पर सहमत हो गया था। इसके पश्चात दिनांक 22.03.2023 को मैंने रिश्वत में दी जाने वाली राशि 30 हजार रूपये श्री रमेशचन्द आर्य पुलिस निरीक्षक को पेश किये थे तथा हम सब ट्रेप कार्यवाही हेतु मनोहरथाना गये थे किन्तु श्री चन्द्रपाल कानिस्टेबल रिश्वत राशि लेने हेतु नहीं आया था। इसके पश्चात दिनांक 28.03.2023 को भी ट्रेप कार्यवाही का प्रयास किया गया था किन्तु उस दिन श्री चन्द्रपाल गुर्जर कानिस्टेबल ने मुझसे कहा था कि मुझे तुमसे कोई रिश्वत राशि नहीं चाहिए, मैंने तुमको पैसे के लिये कब बोला था और मुझसे रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की थी। उसको मुझ पर शक था कि मैंने उसकी शिकायत झालावाड़ एसपी साहब को कर दी थी। उस दिन के बाद श्री चन्द्रपाल कानिस्टेबल ने मुझसे कोई बात नहीं की है, मैं थाने पर मिलने जाता हूं तो वहा पर भी मुझसे वह बात नहीं करता है तथा थाने के बाहर से ही भगा देता है। इसके बाद वह मेरी दुकान पर भी नहीं आया है। शायद उसको शक हो गया है कि मैंने उसकी शिकायत एसीबी में कर दी है। इसलिए वह अब ना तो मेरे से बात कर रहा है और ना ही मेरे से मिल रहा है। अब वह मेरे से रिश्वत राशि नही लेगा। इसलिए अब ट्रेप कार्यवाही होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरे द्वारा श्री चन्द्रपाल गुर्जर कानिस्टेबल के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही करवाने हेतु कार्यालय में दिनांक 22.03.2023 को पेश की गई राशि 30 हजार रूपये मुझे वापस लौटाने की कृपा करें। चूंकि परिवादी के बताये अनुसार ट्रेप कार्यवाही होने की सम्भावना नही होने से परिवादी द्वारा ट्रेप कार्यवाही हेतु पूर्व में कार्यालय में पेश की गई राशि 30,000रूपये को वापस परिवादी को लौटाया जाने हेतु कार्यवाही में पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहन श्री सुनील कुमार व्यास व श्री राधेश्याम मीना को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु जरिये मोबाईल सूचित किया गया। दिनांक 25.04.2023 समय 4.00 पीएम पर तलविदा दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री सुनील कुमार व्यास व श्री राधेश्याम मीना कार्यालय में उपस्थित आये। दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी श्री रत्तीराम लोधा द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र को पढ़कर सुनाया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी श्री रत्तीराम लोधा द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र को पढ़कर उस पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। समय 4.15 पीएम पर परिवादी श्री रत्तीराम लोधा दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री सुनील कुमार व्यास व श्री राधेश्याम मीना कार्यालय में उपस्थित होने से उक्त गवाहान के समक्ष दिनांक 21.03.2023 को परिवादी श्री रत्तीराम लोधा एवं आरोपी श्री चन्द्रपाल गुर्जर कानिस्टेबल पुलिस थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़ के मध्य आपस में हुई रिश्वत की मांग से संबंधित वार्ता, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 22.03.2023 को समय 9.20 एएम पर तैयार की गई थी। उक्त वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से कार्यालय कम्प्यूटर में लेकर सेव किया गया था। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री शिवराज नागर कानि0 166 के द्वारा जरिये कम्प्यूटर चार सीडी डब करवाई गई, जिसमें एक सीडी आरोपी श्री चन्द्रपाल गुर्जर कानिस्टेबल के लिये, एक सीडी नमूना आवाज हेतु तथा एक सीडी माननीय न्यायालय हेतु कपड़े की थेली में अलग–अलग रखकर तीन सीडीयों को सील मोहर कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु पृथक से खुली रखी गयी। फर्द डबिंग पृथक से मुर्तिब की जाकर एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 25.04.2023 समय 5.40 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री रत्तीराम लोधा द्वारा ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध श्री चन्द्रपाल गुर्जर कानि0 पुलिस थाना मनोहरथाना द्वारा एसीबी झालावाड़ में दिनांक 22.03.2023 को पेश किये गये 500–500 के 60 नोट कुल 30,000/–रूपये रिश्वत राशि को लौटाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश करने पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री गोपाललाल हैड कानि0 26 को निर्देश देकर मालखाने में रखी हुई रिश्वत राशि के 30,000रूपये निकलवाकर उन नोटो पर लगे फिनोफ्थलिन पाउडर को अच्छी तरह साफ करवाकर

नियमानुसार परिवादी श्री रत्तीराम लोधा को दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वापस लौटाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी नोट पृथक से नियमानुसार मुर्तिब की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। परिवादी श्री रत्तीराम लोधा को उसके द्वारा पेश की गई राशि 30 हजार रूपये वापस लौटाये जाने की कार्यवाही के पश्चात् परिवादी श्री रत्तीराम लोधा व स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार व्यास व श्री राधेश्याम मीना को कार्यालय से रूखसत किया गया।

सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि दिनांक 21.03.2023 को परिवादी श्री रत्तीराम लोधा ने कार्यालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पेश किया था। परिवादी श्री रत्तीराम लोधा के उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित शिकायत का सत्यापन उसी दिन ब्यूरो के श्री पवन कुमार कॉनि0 को परिवादी श्री रत्तीराम लोधा के साथ मनोहरथाना भिजवाकर करवाया गया तो परिवादी द्वारा पूर्व में ब्यूरो कार्यालय में पेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की तथा परिवादी श्री रत्तीराम लोधा द्वारा आरोपी श्री चन्द्रपाल गुर्जर कानि0 से निवेदन करने पर उसके विरूद्ध थाने में दर्ज अपहरण की शिकायत को रफा दफा करने की एवज में 30,000रूपये रिश्वत राशि लेने की सहमति देने की पुष्टि हुई। इस पर दिनांक 22.03.2023 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन किया गया लेकिन आरोपी श्री चन्द्रपाल गुर्जर कानि0 के ड्यूटी में व्यस्थ होने के कारण परिवादी से सम्पर्क नहीं किया गया। दिनांक 28.03.2023 को परिवादी द्वारा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल अवगत करवाया कि आरोपी श्री चन्द्रपाल गुर्जर कानि0 ने मुझे आज मेरे भाई को साथ लेकर थाने पर बुलाया है तथा वह आज मुझसे रिश्वत राशि प्राप्त कर सकता है। इस पर पुनः ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व जाब्ते के मनोहरथाना पुलिस थाने के पास पहुंचकर परिवादी से सम्पर्क कर उसे रिश्वत राशि सुपुर्द कर थाने पर आरोपी श्री चन्द्रपाल गुर्जर कानि0 की जानकारी करवाकर भिजवाया गया लेकिन आरोपी श्री चन्द्रपाल गुर्जर को किसी प्रकार परिवादी पर शक होने के कारण रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की गयी। दिनांक 25.04.2023 को परिवादी श्री रत्तीराम लोधा द्वारा कार्यालय भ्रनिब्यूरो झालावाड़ में उपस्थित होकर ट्रेप कार्यवाही की सम्भावना नहीं होने के कारण उसके द्वारा ट्रेप कार्यवाही हेतु पेश की गई राशि वापस लौटाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया। इस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश देने पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिये मोबाईल पूर्व में पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार व्यास सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री राधेश्याम मीना कनिष्ठ सहायक को कार्यालय में बुलाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष समय 04.15 पीएम पर फर्द डबिंग व जब्ती सीडी तैयार करवाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री गोपाल लाल हैड कानि0 को निर्देशित कर परिवादी द्वारा पूर्व में ट्रेप कार्यवाही हेतु परिवादी द्वारा पेश की गयी रिश्वत राशि 30,000रूपये जो ब्यूरो कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवायी गयी थी को निकलवाकर परिवादी श्री रत्तीराम लोधा को नियमानुसार सुपुर्द कर लौटाये गये जिसकी फर्द सुपुर्दगी रिश्वत राशि तैयार करवाकर शामिल पत्रावली की गई। सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 पीसी एक्ट (संशोधित) 2018 अपराध की श्रेणी में आना पाया जाने पर रिपोर्ट तैयार कर उचित माध्यम से ब्यूरो मुख्यालय जयपुर भिजवायी गयी, जिस पर आरोपी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अपराध पंजीबद्ध करने का निर्णय लिये जाने पर आरोपी का सेवा विवरण जिला पुलिस अधीक्षक झालावाड़ कार्यालय से तलब किया गया। आरोपी के सेवा विवरण में आरोपी का नाम चन्द्रपाल गुर्जर के स्थान पर चन्द्रपाल गोचर होने पर एफआईआर में आरोपी का नाम श्री चन्द्रपाल गोचर यथा संशोधित किया गया।

अतः आरोपी श्री चन्द्रपाल गोचर पुत्र श्री बिहारी लाल गोचर जाति गुर्जर उम्र 34 साल निवासी नयागांव पोस्ट केथूड़ा थाना देई तहसील नेनवां जिला बून्दी हाल कानिस्टेबल नम्बंर 211 पुलिस थाना मनोहरथाना जिला झालावाड (राज0) के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का घटित होना पाया जाने पर आरोपी श्री चन्द्रपाल गोचर कानि0 के विरूद्ध उक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 भ्रनिब्यूरो जयपुर को प्रेषित है।

भवदीय;

(रमेश चन्द आर्य)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
झालावाड़।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रमेश चन्द आर्य, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री चन्द्रपाल गोचर पुत्र श्री बिहारी लाल गोचर, कानिस्टेबल नम्बर 211, पुलिस थाना मनोहरथाना, जिला झालावाड़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 141/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

6.6.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 1067-70 दिनांक 06.06.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला झालावाड़।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।

6.6.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।